कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, आडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002

दिनांक 16.07.2021 को 02:30 बजे अपरान्ह में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

नवगठित मध्य प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) मध्य प्रदेश ग्वालियर की अध्यक्षता मे ं ऑनलाइन (एमएस टीम्स) की गई। बैठक में उपस्थित बाहय एवं आतंरिक सदस्यों को विवरण अनुलग्नक–क में दिया गया है।

बैठक के आरंभ में डॉ. मो. सुहेल फजल, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह–1 एवं 3) एवं सदस्य सचिव–सह संयोजक ने समिति के प्रत्येक सदस्यों का अभिवादन किया। समस्त बाहय सदस्यों एवं पदेन सदस्यों ने समिति को अपना परिचय दिया। श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) एवं अध्यक्ष ने राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक का उद्घाटन किया तथा समिति के समस्त सदस्यों का स्वागत किया।

श्री डी. साहू प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) एवं अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि विगत कुछ वर्षो में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। पर्वू में एक विभाग की विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की जाती थी जहाँ इकाई की विभिन्न गतिविधयों की जांच की जाती थी और लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिए जाते थे। इस दृष्टिकोण में, ना तो विभाग और ना ही लेखापरीक्षा, विभाग के किसी विशिष्ट मामले या गतिविधि का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम थे। इसलिए विगत कुछ वर्षो में विभाग ने एक अलग दृष्टिकोण की शुरूआत की है जिसमें विभिन्न जोखिम मुल्यांकनों पर आधारित एक विशिष्ट योजना, मामले या गतिविधि का चयन किया जाता है तथा इकाइयों में इसकी जांच की जाती है। इस दृष्टिकोण से बेहतर लेखापरीक्षा परिणाम प्राप्त हुए है और साथ ही विभाग समयोचित निर्णय लेने में सक्षम है। उन्होनें ऐसे कई उदाहरणों को उद्धृत किया जहाँ फोफस क्षेत्र आधारित लेखा परीक्षा के कारण बेहतर लेखापरीक्षा परिणाम देखे गए और विभिन्न विभागों से लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं पहले विभाग लेखापरीक्षा कराने से कतराते थे लेकिन इस बदले हुए दृष्टिकोण के साथ वे लेखापरीक्षा कराने के लिए आगे आ रहे है।

उन्होनें आग्रह किया कि बाहय सदस्यों को वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2021–22 में प्रस्तावित विषयों पर सुझाव/राय देनी चाहिए तथा भावी लेखापरीक्षा योजनाओं के लिए अपने ज्ञान और अनुभव पर आधारित अपनी पसंद के कुछ अन्य विषयों का सुझाव भी दे सकते है।

श्री बिजित कुमार मुखर्जी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), म.प्र. भोपाल एवं पदेन सदस्य ने भी समिति के समस्त सदस्यों का अभिवादन किया और यह भी कहा कि यह मंच महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए है जो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपर्ण हैं, जिसमें हम वर्तमान विषयों और भविष्य में लेखापरीक्षा के लिए भी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) लेते हैं।

स्वागत भाषण के पश्चात् कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) के डॉ. मो. सुहेल फजल, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह.–1 एवं 3) सदस्य सचिव–सह संयोजक ने समिति के सदस्यों के समक्ष कार्यालय की सक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा योजना 2020–21 (**अनुलग्नक ख** के रूप मे संलग्न) में सम्मिलित अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा/फोकस क्षत्रे आधारित लेखा परीक्षा पर पावर–पॉइटं –प्रेजेटेशन दिया।

ग्वालियर कार्यालय की प्रस्तुति के पश्चात्, श्री अजय वी. यशवंत ने लेखापरीक्षा योजना 2020–21 एवं 2021–22 के विषयों के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्विताय), भोपाल ने पावरपॉइटं –प्रजेंटेशन प्रस्तुत की। विषयों का विवरण **अनुलग्नक ग** के रूप में सलंग्न है।

बाहय सदस्यों के सुझाव

1. प्रो. एस. के. राव कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने निम्नलिखित सुझाव दिएः–

    - भण्डारण योजना पर उन्होनें सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों तक अभिगम्यता और गोदामों की उपलब्धता में कमियों को दूर किया जाना चाहिए और ड्रिप सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत होने वाले खर्च की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए।

- जनजातीय–उप योजना आयोजना पर भारी व्यय करने के पश्चात् भी आदिवासियों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार नहीं दिख रहा है, इस मामले को लेखपरीक्षा में संबोधित किया जाना चाहिए।
- निष्पादन लेखा परीक्षा ई–पी.डी.एस. पर उन्होंने सुझाव दिया कि खाद्यान की खरीद एवं वितरण स्थानीय स्तर पर की जाए जिससे कि वितरण की लागत को कम किया जा सके।
- बागवानी के एकीकृत विकास पर उन्होंने सुझाव दिया कि बुनियादी ढांचे की उत्पादकता के लिए समय–सीमा को काफी कम लिया जाना चाहिए।
- अतिथि सकांय पर उन्होंने सुझाव दिया कि व्याख्याताओं की एक वर्ष के लिए नियुक्ति के स्थान पर, स्थायी नियुक्ति तक इसे तीन से चार वर्ष तक बढाया जाना चाहिए।
- प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर भारी व्यय होने पर उन्होंने जोर दिया कि निष्पादन लेखापरीक्षा/फोकस क्षेत्र आधारित लेखा परीक्षा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार को धन का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे तथा परियोजनाओं में कमियों को दूर करने के लिए भी उपाय सुझाए।

2. प्रो. राजेन्द्र साहू, निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्राद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर ने सुझाव दिया कि नागरिकों की प्रतिपुष्टि एवं उनकी राय ली जानी चहिए जिससे कि योजनाओं के निष्पादन में वृद्वि हो और यह निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये स्कोरकार्ड्स के विकास में विशेषज्ञों को शामिल करने के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाए ताकि परिणाम अधिक उत्पादक हो ।
3. सुश्री निशि मिश्रा, प्रधानाचार्य सिधिंया कन्या विद्यालय ग्वालियर ने सुझाव दिया कि इसकी निष्पादन लेखापरीक्षा की जाए कि इंटरनेट एवं दूरदर्शन नेटवर्क का कितनी अच्छी तरह से उपयोग किया गया है और इस महामारी के कारण किस प्रकार की अध्ययन कमियां उत्पन्न हुई तथा उन्होनें यह भी सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा को सरकार द्वारा उन छात्रों को जो स्वयं डिजिटल उपकरण नहीं खरीद सकते उन्हें डिजिटल उपकरण प्रदान करने

के लिए अतिरिक्त व्यय किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए जिससे कि डिजिटल विभाजन कम किया जा सके।

4. सुश्री भक्ति शर्मा, सरपंच, ग्राम पचांयत बरखेडी अब्दुल्ला ने ई–पी.डी.एस. तथा पचांयती राज संस्थानों में 73वें संशोधन अधिनियम, अतिथि सकांय की तैनाती एवं टेक होम राशन के विषयों पर ध्यान आकर्षित किया तथा सूचित किया कि वे अपने सुझाव मेल द्वारा कार्यालय को प्रेषित करेंगी।

5. श्री राहुल नरोन्हा, एसोसिऐटडे संपादक, इण्डिया टुडे ने निम्नलिखित सुझाव दिएः–

   - उन्होनें कहा कि ''ई–पी.डी.एस.'' एवं ''भण्डारण सुविधाए'' विषय एक दूसरे से जुड़े है। लागू होने वाले कृषि कानूनी का भण्डारण एवं ई.पी.डी.एस. दोनों पर कुछ प्रभाव हो सकता है, जिसका लेखापरीक्षा के दौरान विश्लेषण किया जाना चाहिए।

   - ड्रिप सिंचाई पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए और सिंचाई योजनाओं पर उन्होनें सुझाव दिया कि सिानों पर भारित उपयोगकर्ता शुल्क नामामात्र है, जिसे संशोधित किया जाना चाहिए।

   - उन्होनें राज्य सरकार के राजस्व सग्रंहण पर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजन एवं शराब पर अत्यधिक करारोपण के कारण अधिकांश लोग एन उत्पादों के लिए सीमावर्ती/पड़ोसी राज्यों में जा रहे है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उन्होनें अनुशंसा की कि लेखापरीक्षा इस कारण से होने वाले राजस्व हानि की जांच कर सकता है।

6. डॉ. परशुराम तिवारी, सलाहकार ने सुझाव दिया कि लागू की जा रही योजनाओं के लिए जनता से प्रतिपुष्टि ली जाए। उन्होनें स्वास्थ्य, एस.बी.एम. से सबंधित योजनाओं, डब्लू.सी.डी. की योजनाओ, शिक्षा एस.आर.एल.एम. ई–पी.डी.एस. जहां जनता सीधे तौर पर शामिल है से प्रतिपुष्टि लेने का भी सुझाव दिया। उन्होंने निवेश, योजनाओं की गुणवत्ता एवं निष्पादन जैसे मामलों पर ध्यान देने का भी सुझाव दिया।

7. श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन, एन.जी.ओ. ने लाडली लक्ष्मी योजना, ''जन अभियान एवं ''जल जीवन मिशन'' जैसे विषयों को लेने का सुझाव दिया क्योंकि इन योजनाओं पर भारी व्यय होता है।

   - ''भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के सग्रंहण एवं उपयोग'' पर उन्होनें सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा के दौरान कम उपयोग हुई पड़ी हुई निधियों का विश्लेषण किया जाना है।

   - उन्होनें सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र के दौर, सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार इस प्रकार किए जाने चाहिए कि ये प्रतिवेदन उन्मूखी हो। उन्होनें स्वतंत्र सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट कार्ड विकसित करने का भी सुझाव दिया जिससे कि योजनाओं एवं सेवाओं के निष्पादन में सुधार हो।

   - उन्होनें इस बात का प्रकाश डाला कि सामाजिक लेखापरीक्षा एक बहुत ही महत्वपर्ण उपकरण है एवं इनके प्रतिवेदन भी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान सदंर्भित किए जाने चाहिए। आगे, निधि, कार्य और पदाधिकारियों के मामलों पर उन्होनें कहा कि नियंत्रण्1ा अभी भी प्रशासन के हाथ में है जिसके कारण पचांयत सशक्त नहीं है जिसका लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया जाना चाहिए।

8. श्री राजीव दुबे, सी.ए. ने निम्नलिखित मामलों पर सुझाव दिएः–

   - उन्होनें सुझाव दिया कि पचांयतों को राज्य पर निर्भरता कम करने लिए करारोपण द्वारा स्वसृजित आय पर ध्यान देना चाहिए। आगे उन्होनें कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा से पचांयतों में राजस्व रिसाव कि जांच के लिए तंत्र विकसित करने का आग्रह किया।

   - उन्होनें सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी केन्द्रों की भौतिक सत्यापन की जाए

   - प्रसूति सहायता योजना पर, उन्होंने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच की जानी चाहिए कि क्या भुगतान उपयुक्त सत्यापन द्वारा किया जा रहा है और मात्र योग्य लाभांवित होते है।

- उन्होनें व्यक्त किया कि यु.एल.बी. की लेखांकन एक प्रमुख समस्या है, कर सगृंहीत किए जाते है और उनका हिसाब नहीं होता, जिसकी लेंखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा होनी चाहिए।

9. श्रीमती निराशा देवी अध्यक्ष, सरस्वती देवी एस.एच.जी. ने सुझाव दिया कि टेक होम राशन, प्रधान मंत्री सडक़ योजना, और पचांयती सस्ंथान के अन्य योजनाओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि क्या लाभ वास्तवितक लाभार्थी तक पहुंचा है।
10. श्रीमती वैशाली चौधरी, अध्यक्ष प्रेरणा शक्ति, एस.एच.जी. ने सुझाव दिया कि समस्त लेखापरीक्षा चाहे वित्तीय, आतंरिक या सामाजिक हो, पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए।

अंत में श्री डी. साहू अध्यक्ष प्रधान महालेखाकार ने समस्त सदस्यों को बैठक के लिए अपना बहुमुल्य समय निकालने के लिए तथा उनके बहुमुल्य सुझाव एवं राय के लिए, जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया को मजबतू बनाने में सहायक होगीं, आभार व्यक्त किया। उन्होनें कहा कि आगे यदि कोई सुझाव एवं विषय ईमेल, टेलीफोन या वीडियों सम्मेलन के माध्यम से दिए जाते है, तो उसकी सराहना की जाएगी।

बैठक का समापन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) के डॉ. मो. सुहेल फजल उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह.–1 एवं 3) एवं सदस्य सचिव–सह संयोजक द्वारा समस्त बाह्य एवं आतंरिक सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया।

प्रधान महालेखाकार
अध्यक्ष,
राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ–:
कं ए.एम.जी.–III/ए.पी.डी.ए.सी./कार्यवृत्त/ **दिनांक–**

1 सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष, प्रेरणा शक्ति स्वसहायता समूह।
2 सुश्री निराशा देवी, अध्यक्ष, सरस्वती देवी स्वसहायता समूह।

उप महालेखाकार/ए.एम.जी. 1 एवं 3
तथा
सदस्य सचिव सह संयोजक,
राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति

अनुलग्नक–क

मानद बाह्य सदस्य (सर्वश्री)			आंतरिक सदस्य (सर्वश्री)		
1.	प्रो. एस. कोटेश्वर राव	कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर	1.	डी. साहू	अध्यक्ष एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2.	प्रो. राजेन्द्र साहू	निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्राद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर	2.	बिजित कुमार मुखर्जी	पदेन सदस्य एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), म.प्र. भोपाल
3.	सुश्री निशि मिश्रा	प्रधानाचार्य सिधिंया कन्या विद्यालय ग्वालियर	3.	डॉ. मोहम्मद सुहेल फजल	सदस्य सचिव, संयोजक एवं उप महालेखाकार/ए.एम.जी.–3, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) मध्य प्रदेश ग्वालियर
4.	श्री राजीव दुबे,	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्दौर	4.	अनुभव कुमार सिंह	पदेन सदस्य एवं उप महालेखाकार / ए.एम.जी.–1 एवं प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा द्वितीय) मध्य प्रदेश भोपाल
5.	सुश्री भक्ति शर्मा,	सरपंच, ग्राम पचांयत बरखेडी अब्दुल्ला	5.	जितेद्र तिवारी	पदेन सदस्य एवं उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.–2, 4 एवं 5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम), मध्य प्रदेश ग्वालियर
6.	श्री राहुल नरोन्हा,	एसोसिऐट संपादक, इण्डिया टुडे	6.	अजय वी. यशवंत	पदेन सदस्य और उप महालेखाकार/ ए.एम.जी. –4, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश भोपाल
7.	डॉ. परशुराम तिवारी, सलाहकार	सलाहकार एवं विशेषज्ञ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान			
8.	श्री योगेश कुमार,	कार्यकारी निदेशक, समर्थन, एन.जी.ओ.			
9	सुश्री निराशा देवी	अध्यक्ष, सरस्वती देवी स्वसहायता समूह			
10	सुश्री वैशाली चौधरी	अध्यक्ष, प्रेरणा शक्ति स्वसहायता समूह			

अनुलग्नक–ख

क्र. स.	निष्पादन/फाकेस क्षत्रे आधरित लेखापरीक्षाओं की सूची	विभाग का नाम
आडिट प्लान 2020–21 निष्पादन लेखापरीक्षा		
1	मध्य प्रदशे में डायल–100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	गृह विभाग
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण (DBT) पर निष्पादन लेखापरीक्षा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर केन्द्रीकृत खरीद, वितरण एव ं भण्डारण की प्रभावकारिता पर ध्यान देने के साथ सरकारी चिकित्सा संस्थानो ं में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता	लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग
आडिट प्लान 2020–21 फोकस क्षेत्र आधारित लेखापरीक्षा		
1	पास्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन	जनजातीय कार्य, अनुसुचित जाति कल्याण एवं पिछडा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत् वित्तीय सहायता का प्रबंधन	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
3	जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि के चयन/पसंद पर किये गय ं आधारभतू संरचना कार्य	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
4	मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत् निर्माण कार्य	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
5	भूमि अधिग्रहण और अधिग्रहीत भूमि के उपयोग पर लेखापरीक्षा	राजस्व विभाग
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत् प्रति–बूंद अधिक कृषि, फसल का क्रियान्वयन	किसान कल्याण एव ं कृषि विभाग और उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग
7	म.प्र. भण्डार गृह एवं रसद निगम में भण्डारण क्षमता के अनुकूलन की लेखापरीक्षा	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
8	जनजतीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंर्तगत बस्ती विकास एवं योजना	जनजतीय कार्य विभाग
आडिट प्लान 2021–22 अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा		
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा	कृषि खाद्य आरै संबंद्ध उघोग
2	आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3	ई.एस.आई. हॉस्पीटलो ं मे ं परिणामों की लेखापरीक्षा	श्रम विभाग

आडिट प्लान 2021–22 निष्पादन लेखापरीक्षा		
1	पंचायती राज संस्थाओं में 73वा ंसंविधान संशोधन	पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग
2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् खाघान्न की ई–खरीद एवं वितरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	खाघ एव ं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
3	म.प्र. में कोविड–19 महामारी प्रंबधंन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	राजस्व विभाग
4	जिला अस्पतालों (परिणामों की लेखापरीक्षा सहित) की निष्पादन लेखापरीक्षा	लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग
5	कामकाजी महिला छात्रावासों, अनाथालयों की पर्याप्तता की निष्पादन लेखापरीक्षा	महिला एव बाल विकास विभाग
आडिट प्लान 2021–22 फोकस क्षेत्र आधारित लेखापरीक्षा		
1	शासकीय महाविधालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति	उच्च शिक्षा विभाग
2	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण संग्रह एव ं उपयागे	श्रम विभाग
3	प्रमुख सिंचाई परियोजनाओ का विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनीकरण	जल संसाधन विकास
4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना अंर्तगत सडको का उन्नयन	पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग
5	आदिवासी विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना अनुच्छेद 275(1) अंर्तगत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह की फोकस क्षेत्र आधारित लेखापरीक्षा	उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
6	उद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए मिशन की फोकस क्षेत्र आधारित लेखापरीक्षा	उद्यानिकी एवं खाद्य विकास विभाग
7	टेक होम राशन की फोकस क्षेत्र आधारित लेखापरीक्षा	महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुलग्नक–ग

दिनांक 16.07.2021 को आयोजित राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.	2020–21 एवं 2021–22 के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा की सूची
1.	मध्य प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण निधियों का प्रबंधन तथा वन भूमि के परिवर्तन पर अनुपालन लेखा परीक्षा।
2.	74वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा।
3.	एम.पी.एच.आई.डी.बी. द्वारा प्लॉट्स के विकास एवं भवनों के निर्माण पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
4.	म.प्र राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड/ म.प्र. पर्यटन समिति के नव/ मौजूदा सम्पत्तियों को पट्टे पर (लीज पर) दिए जाने पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
5.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सचूना प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
6.	नियमित एवं मानित मामली/ प्रकरणों (वाणिज्यक कर एवं जी.एस.टी.) मे राजस्व हानियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
7.	मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
8.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा औद्योगिक ढ़ाचे के सृजन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
9.	खनन योजना एवं पर्यावरण मानदंडो का खनन संचालनो पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
10.	वितरण कंपनियो के पूर्व एव ं उदय के पश्चात निष्पादन लेखापरीक्षा।
11.	सभी के लिए 24*7 विद्युत के भाग के रूप में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना और दीन दयाल ग्राम योजना पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा।
12.	एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण पर आश्वासन आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा।
13.	पी.डब्ल्यू.डी. में कन्द्रीय सडक़ों के निर्माण पर आश्वासन आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा।
14.	खुदरा शराब दुकानों के आवटंन और शराब जारी करने में प्रक्रियात्मक कमियां।
15.	म.प्र. में वन अपराधों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
16.	क्षिप्रा नदी में प्रदूषण/पतन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
17.	विरासत स्थलों, पुरालेख, संग्रहालय के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
18.	नगरीय स्थानीय निकायों में जलापूर्ति प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
19.	नगरीय स्थानीय निकायों (संपत्ति कर एव किराया) में प्राप्तियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
20.	म.प्र. मे स्मार्ट नगरों पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
21.	अंतर–राज्यीय बस टर्मिनल्स एवं बस स्टैड के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
22.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के एकत्रण और उद्ग्रहण मूल्यांकन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
23.	म.प्र.वी.ए.टी. अधिनियम 2002 की धारा 20 के अंतर्गत मूल्यांकन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
24.	राज्य उत्पाद शुल्क के एकत्रण एवं उद्ग्रहण मूल्यांकन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।

25.	जिला खनिज सस्ं थान की निधियों के उपयोगं एव ं प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
26.	म.प्र. मे ं लघु खनिजों से प्रप्ति पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
27.	विक्रम उद्योग्पुरी लिमिटडे द्वारा दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के फजे –1 के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
28.	मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
29.	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
30.	म.प्र. विद्युत् कंपनी लिमिटेट के श्री सिंघाजी थर्मल विद्युत् स्टेशन, खंडवा के पॉवर हाउस–2 के निर्माण एवं सचं ालन एवं संधारण पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
31.	प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
32.	म.प्र. में प्रमुख पुलों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
33.	पी.डब्लू.डी. द्वारा जनजातीय विकास के लिए विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
34.	पी.डब्लू.डी. द्वारा म.प्र. में एन.डी.बी. ऋण के माध्यम से निधि प्रबंधन निर्माण/प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा।
35.	पी.एच.ई.डी. द्वारा म.प्र. में राष्ट्रीय/राज्य ग्रामीण पये जल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अनुपालन लेखापरीक्षा।